न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अनूपगढ़

पीठासीन अधिकारी : अवधेश मीना, आई.ए.एस.

प्र.सं. 84 / 2024
जी.सी.एस.एस. नं. : 2024 / 177

1. मलकीत सिंह पुत्र बचन सिंह जाति कम्बोजसिख निवासी 23 पीएस सी तहसील रायसिंहनगर जिला अनूपगढ़

–प्रार्थी

बनाम

1. **सुभाष चन्द चौधरी, उपखण्ड अधिकारी, रायसिंहनगर जिला अनूपगढ़**
2. **जसवन्त सिंह पुत्र बचन सिंह जाति कम्बोजसिख निवासी 23 पीएस सी तहसील रायसिंहनगर जिला अनूपगढ़**
3. **छिन्द्रपाल सिंह पुत्र बचन सिंह जाति कम्बोजसिख निवासी 23 पीएस सी तहसील रायसिंहनगर जिला अनूपगढ़**

–अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 235 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उपस्थिति :–

1. श्री तिलकराज चुघ, अधिवक्ता प्रार्थी
2. राजपैरोकार, अप्रार्थी सं. 1
3. श्री अनिल गखड़, अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 2
4. श्री मांगीलाल, अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 3

–:: निर्णय ::–

दिनांक : 23/12/2024

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से हैं कि–

1. प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया है कि प्रार्थी द्वारा वाद पत्र न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर के समक्ष प्रतिवादी छिन्द्रपाल सिंह व जसवन्त सिंह के विरूद्ध वाद प्रस्तुत किया। जिसमें प्रतिवादीगण द्वारा जवाब दावा पेश किया गया एवं विभाजन बाबत अपने कथन दर्ज किए गए। जिस पर न्यायालय द्वारा विभाजन बाबत प्रस्ताव तहसीलदार राजस्व रायसिंहनगर को भिजवाया गया तत्पश्चात जो विभाजन प्रस्तावत बनाया गया उसमें मात्र एक ही पक्षकार जसवन्त सिंह को बुलवाया गया एवं विभाजन प्रस्ताव पत्रावली में दर्ज अभिवचनों के अनुरूप नहीं बनाया। पीठासीन अधिकारी द्वारा बिना कानूनी प्रक्रिया अपनाए प्रकरण को निस्तारित करने के पयास है तथा इसी से संबंधित जो रास्ता प्रकरण है उसमें भी प्रार्थी पक्षकार मुकदमा है आनन फानन में दोनों मुकदमा का निस्तारण बिना विधिक प्रक्रिया अपना किए जाने के प्रयासरत है। विभाजन के दावा में जो खाता विभाजन आया है उस पर कोई उचित कार्यवाही ना कर पक्षकारों की अनुपस्थिति में विभाजन प्रस्ताव तैयार किया गया है उसी पर ही पीठासीन अधिकारी प्रकरण का फैंसला करने पर उतारू है जिसकी ताईद इस तथ्यों से होती है कि इस प्रकरण के विभाजन पर एतराज भी पक्षकार द्वारा पक्षकार द्वारा प्रस्तुत किए गए है फिर भी उस पर सुनवाई ना कर फैंसला दिए जाने की फिराक में है लैण्ड रेवेन्यू रूल्य के तहत भी खाता विभाजन के समय समस्त पक्षकारों की उपस्थिति आज्ञापक है परन्तु उपखण्ड अधिकारी विधि के उक्त विधिक प्रावधानों की अनदेखी कर व्यक्ति विशेष के अनुचित प्रभाव में आकर उक्त प्रकरणों का निर्णय करने की फिराक में है। दोनों प्रकरण अर्थात विभाजन एवं रास्ता प्रकरण के पक्षकारान में जो पक्षकार जसवन्त सिंह है उसका बेटा अवतार सिंह पीठासीन अधिकारी के टच में है व रायसिंहनगर के तहसील गिरदावर बलजिन्द्र सिंह मान के साथ उसका धर्मेला है व सरेआम परिवार में यह कह रहा है कि हमारी समस्त बातचीत हो गई है 30 तारीख को फैंसला करवा देंगे। पीठासीन अधिकारी उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर विधिक प्रक्रिया को दरकिनार कर उक्त प्रकरणों का अविधिक निर्णय करने की फिराक में है जिससे प्रार्थी के विधिक अधिकारों का हनन होगा एवं प्रार्थी के साथ न्यायपूर्ण निर्णय की कतई उम्मीद नहीं है। विभाजन की कार्यवाही में

न्यायालय जिला कलक्टर अनूपगढ़ (राज.)

जिला कलक्टर अनूपगढ़

समस्त प्रभावित पक्षकरों को सुना जाना न्यायसंगत है जबकि पक्षकार जसवन्त सिंह के द्वारा यह स्पष्ट रूप से एलानिया कहा जा रहा है कि विभाजन के दावा के अनुरूप ही रास्ता प्रकरण का फैसला भी उसी दिन मै करवा लूंगा। बिना विभाजन के रास्ता के प्रकरण का निस्तारण किया जाना कानूनी रूप से सही नहीं है परन्तु उक्त विधिक दृष्टिकोण को ताक में रखकर अप्रार्थी सं. 1 निर्णय करने की फिराक में है जिससे न्याय विफल होगा। ऐसी स्थिति में दोनों प्रकरण किसी अन्य न्यायालय में मुन्तकिल किए जाने न्यायसंगत है। अप्रार्थी सं. 1 पीठासीन अधिकारी को यह अवगत भी करवाया गया है कि विभाजन प्रस्ताव का फैंसला जो आप कर रहे है उसमें प्रत्येक पक्षकार हेतु रास्ता व सिंचाई सुविधा का अंकन नहीं किया गया है फिर भी वे मानने को तैयार नहीं है इतना ही नहीं दिनांक 16.01.2023 के पश्चात कोई नोटिस किसी पक्षकार को प्रेषित नहीं किया गया है एवं विभाजन प्रस्ताव में किसी पक्षकार की उपस्थिति या अनुपस्थिति का भी जिक्र नहीं किया गया है यह सब तथ्य पत्रावली में मौजूद है। पीठासीन अधिकारी येन केन प्रकरेण बिना विधिक प्रक्रिया अपनाए दोनों प्रकरणों का निस्तारण करना चाहते है जिसे रोका जाना न्यायसंगत है। पीठासीन अधिकारी के द्वारा न्याय को विफल करने के उद्देश्य से समस्त कार्यवाही की जा रही है प्रार्थी को पीठासीन अधिकारी से कतई उम्मीद नहीं है प्रार्थी अपने दोनों प्रकरण का निस्तारण किसी अन्य न्यायालय से करवाना चाहता है। इसलिए प्रार्थी की ओर से यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है प्रार्थी सदभाविक है। प्रार्थना पत्र न्यायायल के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार में है पूर्ण कोर्ट फीस पेश है। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर में विचाराधीन प्रकरण मलकीत सिंह बनाम छिन्द्रपाल सिंह आदि वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53,91,92ए आरटी एक्ट वाद सं. 155/2020 जीसीएमएस आईडी 2020/00325 एवं इसी से संबंधित एक रास्ता प्रकरण जसवन्त सिंह बनाम छिन्द्रपाल सिंह आदि प्रकरण सं. 18/2020 जीसीएमएस नं. 2020/00243 किस्म मुकदमा 251क(1) आरटी एक्ट को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर से सुनवाई हेतु किसी अन्य न्यायालय में मुन्तकिल किए जाने के आदेश प्रदान करने हेतु निवेदन किया।

2. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थी सं. 2 व 3 जरिए अधिवक्ता उपस्थित आए। अप्रार्थी सं. 1 से प्रार्थना पत्र के संबंध में टिप्पणी तलब की गयी। अप्रार्थी सं. 1 अपने प्रतिवेदन क्रमांक/रीडर/2024/1036 दिनांक 19.11.2024 के द्वारा वाद पत्र सं. 155/20 मय प्रार्थना पत्र 101/120 तथा रास्ता प्रकरण 18/2020 के विचाराधीन होने को स्वीकार करते हुए प्रार्थना पत्र के तथ्यों को मनगढ़त एवं निराधार अंकित कर प्रार्थना पत्र काबिल खारिज जाहिर किया है तथा यह अंकित किया है कि न्यायालय उचित समझे तो उक्त दोनों प्रकरण किसी न्यायालय में मुन्तकिल किया जाना है तो इस न्यायालय को कोई एतराज नहीं है। अप्रार्थी सं. 3 जरिए अधिवक्ता उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत नहीं कर प्रार्थी के पक्ष में सहमति जाहिर की और प्रार्थना पत्र स्वीकार करने हेतु निवेदन किया।

3. अप्रार्थी सं. 2 जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया कि उपखण्ड अधिकारी द्वारा सर्वप्रथम दिनांक 18.10.2022 को तहसीलदार राजस्व रायसिंहनगर को पत्र प्रेषित कर विभाजन प्रस्ताव मांगा गया था जिस पर दिनांक 15.12.2023 को तहसीलदार राजस्व रायसिंहनगर से विभाजन प्रस्ताव प्राप्त हुआ जिस पर प्रार्थी द्वारा न्यायालय में आपत्ति दर्ज करवाई गई। तत्पश्चात तहसीलदार राजस्व रायसिंहनगर द्वारा दिनांक 10.01.2023 को दोबारा पत्र प्रेषित कर पक्षकारों को उपस्थित रहने हेतु पाबन्द किया तथा संसोधित विभाजन प्रस्ताव दिनांक 20.09.2024 को शामिल किया गया जिस पर भी आपत्ति सुनने से उपखण्ड अधिकारी ने इन्कार नहीं किया। इन परिस्थितियों में प्रार्थी अपने आपत्ति सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत करने के लिए स्वतन्त्र है। प्रकरण सन् 2020 से लम्बित है और विभाजन प्रस्ताव प्राप्त हो चुके हैं। मौका पर विभाजन प्रस्ताव तैयार होते समय प्रार्थी एवं अप्रार्थी सं. 2 हस्ताक्षरों से इन्कार करते है। रास्ता प्रकरण में भी हस्ताक्षर करने से इन्कार किया गया है। विभाजन प्रस्ताव पर प्रार्थी की

न्यायालय जिला कलक्टर अनूपगढ़ (राज.)

जिला कलक्टर अनूपगढ़

आपत्ति सुनकर ही दोबारा प्रस्ताव मंगवाया गया है। खाता विभाजन अप्रार्थी सं. 1 किसी भी प्रकार से चाहकर भी लाभ नहीं पहुंचा सकता। रास्ता के प्रकरण में भी अगर रिकार्ड पर यह तथ्य आता है कि अप्रार्थी सं. 2 के पास रास्ता नहीं है तो वह तथ्य विभाजन प्रस्ताव में होना स्वभाविक है। अप्रार्थी सं. 2 के पुत्र का अप्रार्थी सं. 1 से सम्पर्क नहीं है नपा ही गिरदावर से कोई सम्पर्क है तथा ना ही प्रकरण में फैंसला करवाना अप्रार्थी सं. 2 के पक्ष में है। प्रकरण गत 3 वर्षों से लम्बित है। प्रार्थी महज प्रकरण को देरीना करने हेतु सारी कार्यवाही कर रहा है। प्रकरण की विधिपूर्ण सुनवाई हो रही है। प्रार्थी व अप्रार्थी सं. 3 ने मिलीभगत कर दोनों प्रकरणों का निस्तारण रोकने हेतु मिथ्या आधारों पर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। अप्रार्थी सं. 2 के पास अपनी कृषि भूमि में आने जाने के लिए रास्ता नहीं है। इस संबंध में तहसील रिपोर्ट से स्पष्ट है। विभाजन प्रस्ताव किस प्रकार से गलत है ऐसा कोई तथ्य प्रार्थना पत्र में अंकन नहीं है। प्रार्थना पत्र खारिज करने हेतु निवेदन किया।

4. अधिवक्तागण उभयपक्ष की प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गयी। अधिवक्ता प्रार्थी अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि पीठासीन अधिकारी अप्रार्थी सं. 2 के पुत्र के सम्पर्क में है। पीठसीन अधिकारी बिना विधिक प्रक्रिया अपनाए अविधिक रूप तैयार किये गये विभाजन प्रस्ताव के आधार पर अप्रार्थी सं. 2 को लाभ पंहुचाने के उद्देश्य से प्रकरण का निस्तारण करने पर अमादा है। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर से प्रार्थी को न्याय की उम्मीद नहीं है। प्रार्थना पत्र स्वीकार कर उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर में विचाराधीन वाद पत्र एवं रास्ता प्रकरण को अन्य सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने हेतु निवेदन किया। अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 3 प्रार्थना पत्र स्वीकार करने हेतु निवेदन किया। अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 2 अपनी बहस में जवाब प्रार्थना पत्र के तथ्यों की पुनरावृत्ति करते हुए कथन किया कि प्रकरण उपखण्ड अधिकारी के न्यायालय में 3 वर्षों से लम्बित है। प्रकरण में दो बार विभाजन प्रस्ताव उपखण्ड अधिकारी के द्वारा मंगवाया गया है जिसमें प्रार्थी द्वारा हस्ताक्षर करने पर इंकार किया गया है, प्रथम बार के विभाजन प्रस्ताव पर प्रार्थी के द्वारा एतराज किये जाने के कारण पुनः विभाजन प्रस्ताव मंगवाया गया है। प्रार्थी को यदि विभाजन प्रस्ताव पर कोई आपत्ति है तो वे अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर सकते थे। प्रार्थी का उद्देश्य केवल मात्र प्रकरण के निस्तारण में विलम्ब करना है। प्रार्थना पत्र मिथ्या आधारों पर पेश किया गया है। प्रार्थना पत्र खारिज करने हेतु निवेदन किया।

5. बहस वकील उभयपक्ष पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया। प्रकरण में प्रार्थी द्वारा पीठासीन अधिकारी के अप्रार्थी सं. 2 के पुत्र के सम्पर्क में होने एवं पीठासीन अधिकारी द्वारा अप्रार्थी को लाभ पंहुचाने के उद्देश्य से अधिनस्थ न्यायालय में विचाराधीन विभाजन प्रकरण में प्राप्त विभाजन प्रस्ताव के आधार पर बिना प्रार्थी की आपत्ति के विचार किये अविधिकपूर्ण तैयार किये गये विभाजन प्रस्ताव के आधार पर विभाजन प्रकरण एवं रास्ता प्रकरण का निर्णय करने की आशंका व्यक्त करते हुए पीठासीन अधिकारी से न्याय की उम्मीद नहीं होने के आधार पर यह प्रार्थना पत्र पेश किया है। पत्रावली पर उपलब्ध अधिनस्थ न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण पत्रावलियों की छायाप्रति दस्तावेजों का अवलोकन किया। विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर के द्वारा प्र.सं. 18/2020 अन्तर्गत धारा 251क(1) राज.काश्त.अधि. जसवन्त सिंह बनाम छिन्द्रपाल सिंह आदि में दिनांक 14.10.2022 को आदेश पारित करते हुए संयुक्त खाता की भूमि में से रास्ता चाहे जाने के कारण वाद पत्र 155/2020 मलकीयत सिंह बनाम छिन्द्रपाल सिंह आदि में आदेश पारित होने तक प्रकरण की कार्यवाही को स्थगित रखे जाने के आदेश पारित किये गये है।

6. वाद पत्र सं. 155/2020 मलकीत सिंह बनाम छिन्द्रपाल सिंह आदि में उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर द्वारा सर्वप्रथम दिनांक 14.10.2022 को तहसीलदार रायसिंहनगर को खाता विभाजन प्रस्ताव प्रेषित करने के आदेश पारित किये। अधिनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 28.03.2024 के अनुसार विभाजन

न्यायालय जिला कलक्टर अनूपगढ़ (राज.)

जिला कलक्टर अनूपगढ़

प्रस्ताव तहसीलदार रायसिंहनगर के पत्र दिनांक 15.12.2023 द्वारा प्राप्त हुआ। आदेशिका दिनांक 12.09.2024 पर अंकित आदेश अनुसार वादी मलकीत सिंह की प्रार्थना पत्र तहसीलदार को पुनः वादी के एतराज अनुसार विभाजन प्रस्ताव प्रेषित करने हेतु निर्देशित किया गया। आदेशिका दिनांक 25.09.2024 पर संशोधित विभाजन प्रस्ताव प्राप्त होने का अंकन है। ऐसी स्थिति में यह स्पष्ट है विचारण न्यायालय के वादी एवं हस्तगत प्रकरण के प्रार्थी की प्रार्थना पत्र अधिनस्थ न्यायालय द्वारा संशोधित विभाजन प्रस्ताव तलब किया है।

7. विभाजन प्रस्ताव का अवलोकन किया। तहसीलदार रायसिंहनगर द्वारा पत्र दिनांक 15.12.2023 द्वारा प्रेषित विभाजन प्रस्ताव पर प्रार्थी मलकीत सिंह एवं अप्रार्थी सं. 3 छिन्द्रपाल सिंह के द्वारा हस्ताक्षर करने से इंकार किया जाना अंकित है जिससे यह स्पष्ट है कि विभाजन प्रस्ताव समस्त पक्षकारों की उपस्थिति में तैयार किया गया है। इसके पश्चात प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत एतराज विभाजन प्रस्ताव पर पुनः तहसीलदार रायसिंहनगर द्वारा पत्र दिनांक 23.09.2024 द्वारा विभाजन प्रस्ताव प्रेषित किया गया है। रास्ता प्रकरण में भी मौका रिपोर्ट तैयार करने पर प्रार्थी एवं अप्रार्थी सं. 3 द्वारा हस्ताक्षर करने से इंकार किया गया है।

8. उभयपक्ष की ओर से अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर के समक्ष विचाराधीन प्रकरणों की पत्रावली के प्रस्तुत छायाप्रति दस्तावेजों का अवलोकन करने के पश्चात उपर्युक्त विवेचन के आधार पर न्यायालय का निष्कर्ष है कि रास्ता प्रकरण एवं खाता विभाजन प्रस्ताव तैयार करते समय पक्षकार मौके पर मौजूद थे। रास्ता प्रकरण की कार्यवाही वाद पत्र के निस्तारण तक स्थगित रखी गयी है। वाद पत्र में प्राप्त विभाजन प्रस्ताव पर प्रार्थी के द्वारा एतराज किये जाने पर पुनः विभाजन प्रस्ताव तलब किया गया है। यदि प्रार्थी को विभाजन प्रस्ताव पर कोई आपत्ति है तो उन्हें चाहिए था कि वे उपखण्ड अधिकारी के समक्ष आक्षेप प्रस्तुत करते। परन्तु उनके द्वारा आपत्ति प्रस्तुत किये जाने संबंधित कोई साक्ष्य पेश नहीं किया है। बल्कि तैयार किये गये विभाजन प्रस्ताव एवं मौका रिपोर्ट रास्ता प्रकरण पर हस्ताक्षर करने से इंकार किया गया है, जिससे यह सिद्ध होता है कि प्रार्थी का उद्देश्य प्रकरणों के निस्तारण में विलम्ब कारित करना है। प्रार्थी के द्वारा पीठासीन अधिकारी के अप्रार्थी सं. 2 के पुत्र के सम्पर्क में होने का कथन मात्र किया गया है परन्तु इस संबंध में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। पीठासीन अधिकारी द्वारा भी इस कथन को अस्वीकार किया है। अतः प्रार्थी अपने प्रार्थना पत्र को सिद्ध करने में असफल रहे है। ऐसी स्थिति में प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं है।

9. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाता है। निर्णय की प्रति उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर को प्रेषित की जावे।

निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 23/12/2024 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अवधेश मीना)
जिला कलक्टर
अनूपगढ़ I.A.S
कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
अनूपगढ़

न्यायालय जिला कलक्टर अनूपगढ़ (राज.)